एल. आर. एस. और अन्य के माध्यम से देश राज (मृतक)

बनाम

यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य

1 अक्टूबर, 2004

[शिवराज वी. पाटिल और बी. एन. श्रीकृष्णा, जे. जे.]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894; एस. एस. 4, 18 & 28 / भारत का संविधान, 1950; अनुच्छेद 142:

अधिसूचना-कृषि भूमि का अधिग्रहण-प्रदान-क्षतिपूर्ति-संदर्भ-संदर्भ न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा मुआवजा बढ़ाया गया/और बढ़ाया गया-वर्तमान अपीलार्थियों को छोड़कर सभी द्वारा अपील दायर करना। उच्चतम न्यायालय ने मुआवजे का पुनर्निर्धारण करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय को भेज दिया- वर्तमान अपीलार्थियों द्वारा दायर समीक्षा याचिका में दूसरों के बराबर मुआवजे की राशि का दावा किया गया है-हाईकोर्ट ने याचिका- अपील पर, माना: अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के पहले के आदेश को चुनौती नहीं दी और न ही उन्होंने समय के भीतर मुआवजे में वृद्धि के लिए आवेदन दायर किया-चूंकि धारा 18 के तहत संदर्भ मांगा गया है, इसलिए मुआवजे की उच्च दर के लिए धारा 28-ए का लाभ उपलब्ध नहीं है-उठाए गए आधार आदेश को संशोधित करने के लिए

पर्याप्त नहीं थे-उच्च न्यायालय ने याचिकाओं को सही ढंग से खारिज कर दिया-सर्वोच्च न्यायालय के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शिक्त का प्रयोग करने का कोई मामला नहीं बनाया गया है।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी अधिस्चना के अन्सार, प्रत्यर्थियों ने अपीलार्थियों की कृषि भूमि का अधिग्रहण किया। इस प्रकार अधिग्रहित भूमि के संबंध में एक निश्चित दर पर म्आवजा तय करने के लिए अधिनिर्णय दिया गया था। पीड़ित, अपीलार्थियों और अन्य लोगों ने एक संदर्भ मांगा। संदर्भ न्यायालय ने मुआवजे की दर बढ़ा दी। अपील पर, उच्च न्यायालय ने मुआवजे की दर को और बढ़ा दिया। इससे प्रभावित व्यक्तियों/दावेदारों ने सभी आहत अपीलकर्ताओं/दावेदारों ने इस न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। अदालत ने म्आवजे की राशि के प्नर्निधारण के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेज दिया। उच्च न्यायालय ने मुआवजे की दर बढ़ा दी। हालांकि, वर्तमान अपीलकर्ताओं ने मुआवजे की दर बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय के पहले के आदेश को चुनौती देते हुए एक समीक्षा याचिका दायर की, जिसे उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसलिए वर्तमान अपीलें हैं।

अपीलार्थियों के लिए यह तर्क दिया गया था कि चूँकि अन्य संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्निर्धारण पर मुआवजे की राशि में काफी वृद्धि की गई है, इसलिए उन्हें भी यही लाभ दिया जाना चाहिए था; और यह कि यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करके उनके पक्ष में मुआवजे की राशि में भी वृद्धि कर सकता है।

अपीलों को खारिज करते हुए अदालत ने अभिनिर्धारित किया:

1.1 विवादित निर्णयों में, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के पहले के फैसले को अपील में चुनौती नहीं दी थी, जैसा कि अन्य लोगों ने किया था। नतीजतन, उनके मामलों में निर्णय और डिक्री अंतिम हो गई। उच्च न्यायालय ने यह भी देखा है कि हालांकि समीक्षा आवेदनों में भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 28-ए पर भरोसा रखने की मांग की गई थी, जिसमें उसी गांव में अन्य प्रभावित व्यक्तियों को दिए गए मुआवजे की राशि के पुनर्निर्धारण का दावा किया गया था, हालांकि, सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ताओं ने याचिका को छोड़ दिया। इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णयों द्वारा अपीलार्थियों द्वारा दायर समीक्षा आवेदनों को खारिज कर दिया। [938-ए-बी, सी-डी-ई]

जोस एंटोनियो क्रूज़ डॉस आर. रोड्रिगेज और अन्य आदि बनाम भूमि अधिग्रहण कलेक्टर और अन्य, जे. टी. (1996) 10 एस. सी. 573, संदर्भित। बी. एन. नटराजन और अन्य आदि बनाम मैस्र राज्य और अन्य आदि, ए. आई. आर. (1966) एस. सी. 1942; मिस. शेनॉय एंड कंपनी, बैंगलोर एंड अन्य बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल ॥, बैंगलोर और अन्य, आकाशवाणी (1985) एससी 621; राम चंद और अन्य। बनाम भारत संघ और अन्य, जे. टी. (1993) 5 एस. सी. 465; यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन आदि बनाम भारत संघ आदि, ए. आई. आर. (1992) एस. सी. 248 और बिहार राज्य आवास बोर्ड, बिहार राज्य और अन्य बनाम बान बिहारी महतो और अन्य, आकाशवाणी (1988) एससी 2134, विशिष्ट।

1.2 अपीलकर्ताओं ने निर्धारित समय के भीतर आवेदन नहीं किए होने के कारण निर्णयों में दर्ज आधार पर अपना दावा नहीं किया। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 28-ए का लाभ केवल उन पक्षों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने मुआवजे को बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ की मांग नहीं की थी और इसके बाद संदर्भ न्यायालय/उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती नहीं देते हैं। इसलिए, अपीलार्थी अधिनियम की धारा 28-ए के प्रावधानों को लागू करके बढ़े हुए मुआवजे का दावा करने के हकदार नहीं होंगे। [940-ए-बी-सी]

अनुसूचित जाति सहकारी भूमि स्वामित्व सोसायटी लिमिटेड, भटिंडा बनाम भारत संघ और अन्य, (1991) 1 एस. सी. सी. 174 पर भरोसा किया। 1.3 चूँिक समीक्षा आवेदनों में उठाए गए आधार ऐसे आधार नहीं थे जिन्हें निर्णय की समीक्षा या संशोधन के लिए स्वीकार किया जा सकता था, इसिलए उच्च न्यायालय उनके समीक्षा आवेदनों को खारिज करने में सही था। इसके अलावा, ये मामले भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय द्वारा शक्ति का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त नहीं हैं। (941-ई-एफ-जी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 5025/1999

1975 के आर. एफ. ए. सं. 130 में आर. ए. सं. 44/89 में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 22.10.97 के निर्णय और आदेश से।

के साथ

सी. ए. संख्या 5026/1999

मित्तर एंड मित्तर कंपनी के लिए एल. सी. चेची अपीलार्थियों के लिए

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था

शिवराज वी पाटिल, जे. :

इन अपीलार्थियों की भूमि सहित कुछ कृषि भूमि का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 23.1.1965 के अन्सार किया गया था। अधिनिर्णय मार्च, 1969 में दिया गया था, जिसमें म्आवजे के रूप में रु 2, 000 प्रति बीघा निश्चित किया गया। इस प्रकार दिए गए म्आवजे की राशि से संत्ष्ट नहीं होने पर अपीलकर्ताओं और अन्य दावेदारों ने अधिनियम की धारा 18 के तहत एक संदर्भ की मांग की। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, अर्थात, संदर्भ अदालत ने म्आवजे की राशि 2,000 से 2,200 रुपये प्रति बीघा तक बढ़ा दी। अपीलार्थियों और चार अन्य दावेदारों ने म्आवजे की राशि को और बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने 11.10.1984 को सामान्य निर्णय द्वारा इन अपीलार्थियों की दो अपीलों सहित छह अपीलों का निपटारा किया जिसमे क्षतिपूर्ति 4,000 रुपये प्रति बीघा तय किया। इन अपीलकर्ताओं ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया, यदि वे उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले से व्यथित हैं। हालाँकि, उच्च न्यायालय के समक्ष छह अपीलों में से एक में अपीलकर्ता प्रताप सिंह और अन्य ने उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले से व्यथित होकर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इस न्यायालय ने दिनांक 22.11.1988 के आदेश द्वारा उनकी सिविल अपील संख्या 4099/88 को अन्मति दी और म्आवजे की राशि को फिर से निर्धारित करने के लिए कुछ टिप्पणियों के साथ मामले को उच्च न्यायालय को भेज दिया। अपीलकर्ताओं ने इसके लंबे समय बाद उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा आवेदन दायर कर उच्च न्यायालय के दिनांक 11.10.1984 के फैसले की समीक्षा की मांग इस आधार पर की कि प्रताप सिंह और अन्य जिनकी भूमि भी उसी अधिसूचना के तहत अधिग्रहित की गई थी और जिन्हें इसी तरह रखा गया था, उन्हें वैधानिक लाभों के साथ अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे की उच्च दर मिली, इसलिए अपीलकर्ता भी मुआवजे की उच्च राशि के हकदार थे; अधिनियम की धारा 28-ए के तहत, अपीलकर्ता भी उसी दर पर मुआवजे की राशि के हकदार थे जो प्रताप सिंह और अन्य को दी गई थी। उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दिनांक 22.10.1997 के विवादित फैसलों द्वारा समीक्षा आवेदनों को खारिज कर दिया। इसलिए, ये अपीलें।

अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने आग्रह किया कि जब इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के सामान्य निर्णय के दायरे में आने वाले मामलों में से एक, यानी प्रताप सिंह और अन्य के मामले को दरिकनार कर दिया है और मामले के रिमांड के बाद मुआवजे की राशि में काफी वृद्धि की गई है, तो वही लाभ अपीलार्थियों को दिया जाना चाहिए था; अधिनियम की धारा 28-ए के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और विधायी इरादे को ध्यान में रखते हुए, प्रताप सिंह और अन्य के मामले में निर्धारित किए गए बढ़े हुए मुआवजे का लाभ इन अपीलार्थियों को भी दिया जाना चाहिए था और यह न्यायालय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सभी मामलों में समान रूप से रखे गए लोगों के मुआवजे को

बराबर करने के लिए, मामले की रिमांड के बाद प्रताप सिंह और अन्य के मामले में तय किए गए जैसे ही मुआवजे की राशि को 40,000 तक बढ़ा सकता था।। अपनी दलीलों के समर्थन में, उन्होंने कुछ निर्णयों का हवाला दिया।

नोटिस की सेवा के बावजूद, किसी ने भी उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व नहीं किया।

हमने अपीलार्थियों के विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों पर विचार किया है। जिन तथ्यों पर विवाद नहीं है, वे निम्नलिखित हैंः

इन दो अपीलार्थियों और चार अन्य लोगों द्वारा दायर पहली अपीलों का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11.10.1984 के सामान्य निर्णय द्वारा किया गया था। इन दोनों अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय के उक्त फैसले को आगे चुनौती नहीं दी। प्रताप सिंह और अन्य, जो उच्च न्यायालय के उक्त फैसले में अपीलकर्ता भी थे, ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया और उनके कहने पर, इस अदालत ने उनकी अपील को स्वीकार कर लिया और मामले को रिमांड पर ले लिया गया। इसके बाद उच्च न्यायालय ने प्रताप सिंह और अन्य के मामले में मुआवजे की राशि बढ़ा दी है। इन अपीलार्थियों के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया दिनांकित 11.10.1984 निर्णय अंतिम हो गया था। इसके बहुत बाद, अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के दिनांक 11.10.1984 के फैसले की

समीक्षा की मांग करते हुए समीक्षा आवेदन दायर किए। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित फैसलों द्वारा समीक्षा आवेदनों को खारिज कर दिया।

आक्षेपित फैसलों में, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि अपीलकर्ताओं ने अपील में उच्च न्यायालय के दिनांक 11.10.1984 के फैसले को चुनौती नहीं दी, जैसा कि प्रताप सिंह और अन्य लोगों ने किया था। नतीजतन, उनके मामलों में 11.10.1984 दिनांकित निर्णय और डिक्री अंतिम हो गई। आक्षेपित फैसले में उच्च न्यायालय ने इस प्रकार कहा है:

"यह ध्यान देने योग्य है कि यहाँ के आवेदकों, अर्थात् आर. एफ. ए. सं. 143/75 और 130/75 में अपीलकर्ताओं ने अपील में दिनांकित 11.10.1984 के फैसले को चुनौती नहीं दी, जैसा कि प्रताप सिंह और अन्य लोगों ने किया था। नतीजतन, उनके मामले में 11.10.1984 दिनांकित निर्णय और डिक्री अंतिम हो गई।"

उच्च न्यायालय ने यह भी देखा है कि हालांकि समीक्षा आवेदनों में अधिनियम की धारा 28-ए पर भरोसा रखने की मांग की गई थी, जिसमें उसी गांव में अन्य प्रभावित व्यक्तियों को दिए गए मुआवजे की राशि के पुनर्निर्धारण का दावा किया गया था, लेकिन सुनवाई के दौरान, अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने जोस एंटोनियो क्रूज़ डॉस आर. रोड्रिगेज और अन्य आदि बनाम भूमि अधिग्रहण कलेक्टर और अन्य जे. टी. (1996) 10 एस. सी. 573 मामले में इस अदालत के फैसले के आलोक में

उस याचिका को छोड़ दिया। आदि। ए. एन. आर.,। इस दृष्टिकोण से, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णयों द्वारा अपीलार्थियों द्वारा दायर समीक्षा आवेदनों को खारिज कर दिया।

बी. एन. नटराजन और अन्य आदि बनाम मैसूर राज्य और अन्य ए. आई. आर. (1966) एस. सी. 1942, मे दिया गया निर्णय अपीलार्थियों की सहायता नहीं करता है। यह एक ऐसा मामला था जो लोक सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले नियम बनाने की कार्यपालिका की शक्ति से संबंधित था-क्या कार्यपालिका पूर्वव्यापी रूप से नियम बनाने की हकदार थी। इसके अलावा उस मामले में, पैराग्राफ 24 में, उन अपीलार्थियों के मामलों को शामिल करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए विशिष्ट निर्देश दिए गए थे जिन्होंने अपनी अपीलों पर मुकदमा नहीं चलाया था। फैसले के पैरा 24 में लिखा है:

"24. परिणामस्वरूप, राज्य और अन्य अपीलार्थियों दोनों की अपीलों को अनुमित दी जाती है और उच्च न्यायालय के फैसले को दरिकनार कर दिया जाता है। हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि कुछ अपीलकर्ताओं ने अपनी अपीलों पर मुकदमा नहीं चलाया है, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है कि उन्हें इस फैसले का लाभ नहीं मिलना चाहिए, और संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत हमारी शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, हम निर्देश

देते हैं कि पूर्ण न्याय करने के लिए उन्हें हमारे द्वारा दिए गए फैसले का लाभ भी मिलना चाहिए। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।"

इस न्यायालय द्वारा प्रताप सिंह और अन्य की सिविल अपील संख्या 4099/88 में ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया था और वहां दिए गए निर्देश केवल उन्हीं तक सीमित थे।

शेनॉय एंड कंपनी, बैंगलोर और अन्य बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, सर्कल॥, बैंगलोर और अन्य, ए. आई. आर. (1985) एस. सी. 62 ।, यह न्यायालय उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर्नाटक कर अधिनियम, 1979 की वैधता से संबंधित था। यह एक ऐसा मामला था जिसमें अधिनियम के प्रावधानों की वैधता को रिट याचिकाओं के एक समूह द्वारा चुनौती दी गई थी और उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अधिनियम को अमान्य बताते हुए खारिज कर दिया था। राज्य सरकार ने केवल एक पक्ष के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की और अपील को स्वीकार कर लिया गया। परिणामस्वरूप, अधिनियम का पुनरुद्धार हुआ और यह सभी व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी था, हालांकि वे अपील के पक्षकार नहीं थे। इसलिए, यह निर्णय भी अपीलार्थियों के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है।

राम चंद और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, जे. टी. (1993) 5 एस. सी. 465 मामलों में इस न्यायालय का निर्णय भी अपीलार्थियों के लिए कोई लाभप्रद नहीं है। उस मामले में, अदालत घोषणा किए जाने के बाद निर्णय देने में 15 से 21 साल की लंबी देरी से चिंतित थी और लंबी देरी को ध्यान में रखते हुए मुआवजे की राशि का लाभ देने के लिए कुछ निर्देश दिए गए थे।

संघ कार्बाइड निगम आदि बनाम भारत संघ आदि ए. आई. आर. (1992) एस. सी. 248 में इस न्यायालय के निर्णय ने उस मामले के तथ्यों के संबंध में अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय की शक्ति पर विचार किया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह न्यायालय उचित मामलों में अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता है। हम यह समझने में विफल हैं कि यह मामला अपीलार्थियों को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कैसे मदद करता है कि उनके मामलों में, उच्च न्यायालय का दिनांक 11.10.1984 का सामान्य निर्णय अंतिम हो गया था और उस निर्णय की समीक्षा नहीं की जा सकी जैसा कि अपीलार्थियों द्वारा किया जाना चाहा गया था। यह ऐसा मामला नहीं है जहां मामले के तथ्यों पर लागू वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।

बिहार राज्य आवास बोर्ड, बिहार राज्य और अन्य बनाम बान बिहारी महतो और अन्य, ए. आई. आर. (1988) एस. सी. 2134 का मामला भी अपीलार्थियों के तर्क का समर्थन नहीं करता है जैसा कि निर्णय के पैरा 2 से ही स्पष्ट है। उन मामलों के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर ही कुछ निर्देश दिए गए थे और कानून का कोई मुद्दा तय नहीं किया गया था।

हमारे विचार में, अपीलार्थी अधिनियम की धारा 28-ए के प्रावधानों को लागू करने के लिए बढ़े हुए मुआवजे का दावा करने के हकदार नहीं हैं। उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थियों के विदवान वकील ने इस आधार पर अपीलार्थियों के दावे पर जोर नहीं दिया, जैसा कि विवादित निर्णयों में दर्ज है, क्योंकि उन्होंने निर्धारित समय के भीतर आवेदन नहीं किए थे। इसके अलावा, धारा 28-ए का लाभ केवल उन पक्षों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने म्आवजे को बढ़ाने के लिए अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ नहीं मांगा था। यह प्रावधान उन व्यक्तियों के लिए उपलब्ध नहीं है जो मुआवजे में वृद्धि के लिए अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ चाहते हैं और संदर्भ न्यायालय के फैसले या उसके बाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती नहीं देते हैं। अनुसूचित जाति सहकारी भूमि स्वामित्व सोसायटी लिमिटेड, भटिंडा बनाम भारत संघ और अन्य, [1991] 1 एस. सी. सी. 174 में इस न्यायालय के तीन विदवान न्यायाधीशों की पीठ ने इस संबंध में पैरा 4 में इस प्रकार निर्णय दिया है:

"4..... कोई भी व्यक्ति जो इस प्रकार दिए गए अधिनिर्णय को स्वीकार नहीं करता है, कलेक्टर को लिखित आवेदन द्वारा

यह अपेक्षा कर सकता है कि मामले को अदालत के निर्धारण के लिए भेजा जाए, जिस पर धारा 18 और 28 के प्रावधान, जहां तक हो सके, ऐसे संदर्भ पर लागू होंगे जो वे धारा 18 के तहत किसी संदर्भ पर लागू होते हैं। धारा 28-ए की उप-धारा (1) को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि यह केवल उन दावेदारों पर लागू होता है जो अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ लेने में विफल रहे थे। अधिनियम की धारा 18 के तहत न्यायालय द्वारा दिए गए म्आवजे के आधार पर कलेक्टर द्वारा प्नर्निर्धारण किया जाना है और उस ओर से अधिनिर्णय की तारीख से 30 दिनों के भीतर कलेक्टर को एक आवेदन दिया जाना है। इस प्रकार केवल वे दावेदार जो अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ के लिए आवेदन करने में विफल रहे थे, उन्हें कलेक्टर को प्नर्निर्धारण के लिए आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया जाता है और उन सभी याचिकाकर्ताओं को नहीं जिन्होंने न केवल धारा 18 के तहत संदर्भ की मांग की थी, बल्कि संदर्भ अदालत द्वारा दिए गए अधिनिर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील भी दायर की थी। इसलिए, नई जोड़ी गई धारा 28-ए, स्पष्ट रूप से उस मामले पर लागू नहीं होती है जहां दावेदार ने धारा 18 के तहत संदर्भ मांगा है और प्राप्त किया है और यहां तक कि उच्च न्यायालय में अपील भी की है। यह दृष्टिकोण, जिसे हम धारा 28-ए के एक सादे पठन पर लेते हैं, मेवा राम बनाम हरियाणा राज्य, [1986] 4 एस. सी. सी. 151: [1986] 3 एस. सी. आर. 660 में इस न्यायालय के फैसले से समर्थन पाता है।"

इस न्यायालय ने फिर से बाब्आ राम और अन्य बनाम यू. पी. राज्य और अन्य, [1995] 2 एस. सी. सी. 689 के मामले में अनुसूचित जाति सहकारी भूमि स्वामित्व सोसायटी लिमिटेड, भटिंडा (सुपरा) में निर्णय के बाद पैरा 36 में इस प्रकार कहा है:

"36. अगला सवाल यह है कि क्या एक इच्छुक व्यक्ति जिसने धारा 18 के तहत संदर्भ मांगा और प्राप्त किया, लेकिन या तो असफल रहा और कोई अपील दायर नहीं की या अपील की, लेकिन असफल रहा, वह प्नर्निर्धारण का हकदार होगा जब अपीलीय अदालत द्वारा धारा 54 के तहत या संविधान के अन्च्छेद 132,133 और 136 के तहत आगे की अपील पर म्आवजे को बढ़ाया गया था। मेवा राम मामले में इस न्यायालय ने पैराग्राफ 5 में अभिनिर्धारित किया कि धारा 28-ए म्आवजे की राशि के निर्धारण के लिए प्रावधान करती है, बशर्ते उसमें निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाए। इस तरह के पुनर्निर्धारण के लिए, मंच कलेक्टर है और धारा 26 के तहत अधिनिर्णय की तारीख से 30 दिनों के भीतर उसके समक्ष आवेदन किया जाना है और यह अधिकार उन व्यक्तियों तक सीमित है जिन्होंने अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ के लिए आवेदन नहीं किया था। यदि ये शर्तें पूरी हो जाती हैं, तो याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 28-ए के तहत प्रदान किए गए प्रावधान का लाभ उठा सकता था।"

वास्तव में, इन मामलों में अपीलकर्ताओं ने अधिनियम की धारा 18 के तहत संदर्भ की मांग की थी; उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की और उच्च न्यायालय द्वारा 11.10.1984 पर निर्णय देने के बाद, उन्होंने इसे चुनौती नहीं दी। इन मामलों में भी अधिनियम की धारा 28-ए के तहत निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन नहीं किए गए थे। किसी भी तरह से, समीक्षा आवेदनों में उठाए गए आधार वे आधार नहीं थे जिन्हें उच्च न्यायालय के दिनांक 11.10.1984 के फैसले की समीक्षा या संशोधन के लिए स्वीकार किया जा सकता था। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय आक्षेपित निर्णयों में बताए गए कारणों के लिए उनके समीक्षा आवेदनों को खारिज करने में सही था।

इस प्रकार, मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित निर्णयों में दोष खोजना संभव नहीं है। इसके अलावा, हमारे विचार में, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त मामले नहीं हैं, जो ऊपर बताए गए हैं और अनुसूचित जाति सहकारी भूमि स्वामित्व सोसायटी लिमिटेड, भिटेंडा (सुपरा) में स्पष्ट कानूनी स्थिति को देखते हुए। इसलिए, इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हुए, उन्हें खारिज कर दिया जाता है, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

एस. के. एस.

अपीलों की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है।

अस्वीकरण इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।